

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 51

Ministry of Home Affairs (दादरा और नगर हवेली)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	686.87	359.31	1046.18	687.27	384.47	1071.74	745.37	359.82	1105.19	686.46	389.16	1075.62
वसूलियां	-6.24	...	-6.24	-15.90	...	-15.90	-4.90	...	-4.90	-6.90	...	-6.90
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	<b>680.63</b>	<b>359.31</b>	<b>1039.94</b>	<b>671.37</b>	<b>384.47</b>	<b>1055.84</b>	<b>740.47</b>	<b>359.82</b>	<b>1100.29</b>	<b>679.56</b>	<b>389.16</b>	<b>1068.72</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	3.49	...	3.49	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	4.91	...	4.91
2. अन्य स्थापनाएं	218.39	...	218.39	240.55	...	240.55	246.05	...	246.05	258.37	...	258.37
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	<b>221.88</b>	...	<b>221.88</b>	<b>245.35</b>	...	<b>245.35</b>	<b>250.85</b>	...	<b>250.85</b>	<b>263.28</b>	...	<b>263.28</b>
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण	...	...	...	0.26	0.09	0.35	0.26	0.09	0.35	0.16	0.05	0.21
3.02 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	6.00	...	6.00	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
3.03 पुलिस	...	11.19	11.19	...	16.62	16.62	...	11.62	11.62	...	16.04	16.04
3.04 कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	2.59	5.17	7.76	3.56	4.44	8.00	3.56	4.12	7.68	3.31	4.26	7.57
3.05 विद्युत	2.09	48.00	50.09	2.03	56.00	58.03	2.03	30.67	32.70	3.03	23.00	26.03
3.06 वन और वन्य जीव	17.56	8.11	25.67	15.99	7.15	23.14	15.99	7.15	23.14	12.39	7.12	19.51
3.07 शिक्षा	30.28	10.65	40.93	27.74	14.31	42.05	37.64	17.31	54.95	32.30	18.00	50.30
3.08 स्वास्थ्य	15.99	27.90	43.89	7.30	49.96	57.26	7.30	49.96	57.26	8.14	57.00	65.14
3.09 खेलकूद	0.80	10.00	10.80	1.02	9.00	10.02	1.02	9.00	10.02	1.02	9.00	10.02
3.10 पर्यटन	5.13	24.53	29.66	3.70	20.37	24.07	3.70	25.37	29.07	3.60	20.37	23.97
3.11 शहरी विकास	2.45	80.99	83.44	2.34	42.49	44.83	2.34	42.49	44.83	2.74	43.59	46.33
	-0.64	...	-0.64	-0.60	...	-0.60	-0.60	...	-0.60	-0.60	...	-0.60
निवल	<b>1.81</b>	<b>80.99</b>	<b>82.80</b>	<b>1.74</b>	<b>42.49</b>	<b>44.23</b>	<b>1.74</b>	<b>42.49</b>	<b>44.23</b>	<b>2.14</b>	<b>43.59</b>	<b>45.73</b>
3.12 विधवा/निराश्रित महिला कल्याण	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.13 ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0.25	6.00	6.25	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	5.00	1.00	2.00	3.00
3.14 सड़क और पुल	1.31	124.85	126.16	1.31	158.46	159.77	1.31	156.46	157.77	1.21	185.30	186.51
	...	...	...	-0.30	...	-0.30	-0.30	...	-0.30	-0.30	...	-0.30
<i>निवल</i>	<i>1.31</i>	<i>124.85</i>	<i>126.16</i>	<i>1.01</i>	<i>158.46</i>	<i>159.47</i>	<i>1.01</i>	<i>156.46</i>	<i>157.47</i>	<i>0.91</i>	<i>185.30</i>	<i>186.21</i>
3.15 दिव्यांग और वृद्धजन	0.61	...	0.61	0.81	...	0.81	0.81	...	0.81	0.81	...	0.81
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	84.46	357.39	441.85	69.30	380.89	450.19	79.20	356.24	435.44	69.95	385.73	455.68
4. अनुदानग्राही/ अन्य निकाय												
4.01 जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को अनुदान	269.59	...	269.59	234.45	...	234.45	288.15	...	288.15	238.70	...	238.70
4.02 सिलवासा नगरपालिका परिषद को अनुदान	62.85	...	62.85	59.50	...	59.50	59.50	...	59.50	62.30	...	62.30
4.03 अन्य स्वायत्तशासी एवं अनुदानग्राही निकायों को अनुदान	39.70	...	39.70	62.02	...	62.02	62.02	...	62.02	44.54	...	44.54
जोड़- अनुदानग्राही/ अन्य निकाय	372.14	...	372.14	355.97	...	355.97	409.67	...	409.67	345.54	...	345.54
5. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय	7.75	1.92	9.67	15.75	3.58	19.33	4.75	3.58	8.33	6.79	3.43	10.22
	-5.60	...	-5.60	-15.00	...	-15.00	-4.00	...	-4.00	-6.00	...	-6.00
<i>निवल</i>	<i>2.15</i>	<i>1.92</i>	<i>4.07</i>	<i>0.75</i>	<i>3.58</i>	<i>4.33</i>	<i>0.75</i>	<i>3.58</i>	<i>4.33</i>	<i>0.79</i>	<i>3.43</i>	<i>4.22</i>
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>458.75</b>	<b>359.31</b>	<b>818.06</b>	<b>426.02</b>	<b>384.47</b>	<b>810.49</b>	<b>489.62</b>	<b>359.82</b>	<b>849.44</b>	<b>416.28</b>	<b>389.16</b>	<b>805.44</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>458.75</b>	<b>359.31</b>	<b>818.06</b>	<b>426.02</b>	<b>384.47</b>	<b>810.49</b>	<b>489.62</b>	<b>359.82</b>	<b>849.44</b>	<b>416.28</b>	<b>389.16</b>	<b>805.44</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>680.63</b>	<b>359.31</b>	<b>1039.94</b>	<b>671.37</b>	<b>384.47</b>	<b>1055.84</b>	<b>740.47</b>	<b>359.82</b>	<b>1100.29</b>	<b>679.56</b>	<b>389.16</b>	<b>1068.72</b>

3.02. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक विपत्तियों और आपदाओं के आने पर प्रबंधन कार्यकलापों के खाता में राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

1. **सचिवालय:** इसमें दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **अन्य स्थापनाएं:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, डेयरी विकास, मछली पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, खेतीबाड़ी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत, वानिकी एवं वन्य जीव, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, सिविल आपूर्ति, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, चिकित्सा, एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा सेवाएं, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं नियोजन, वाहनों, सड़क एवं पुल पर कर, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, जलापूर्ति, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण और नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा आदि शामिल हैं।

3.01. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण:** इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पुराने मकानों की छत को बदलने का प्रावधान शामिल है।

3.03. **पुलिस:** इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, आईआरबी के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण और संवर्धन/नवीकरण तथा इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए आग बुझाने के उपकरणों की खरीद और प्रचालन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास जैसे डेयरी और मुर्गा पालन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खाद्य और बीज आदि की खरीद हेतु किसानों को ऋण और सव्मिडी, डेयरी फार्म के संचालन तथा अवसंरचना के निर्माण और अनुरक्षण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **विद्युत:** इसमें संघ के राज्य क्षेत्र की ट्रांसमिशन सब स्टेशन और लाईन्स विद्युत प्रणाली की स्थापना और संवर्धन तथा संघ ट्रांसमिशन अवसंरचना के प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **वन और वन्य जीव:** इसमें वनों के संरक्षण, पौधा रोपण, पुनःवृक्षारोपण, वन्य जीवों का संरक्षण, वानिकी और पौधशाला का संरक्षण तथा इस समस्त संघ राज्य क्षेत्र के वन और वन्य जीव क्षेत्र का संचालन तथा अनुरक्षण और आवासीय और गैर-आवासीय भवनों तथा वनों के संरक्षण के लिए चैनलिंग, बाड़ जैसे अन्य पूंजीगत कार्यों तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **शिक्षा:** इसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक उच्चतर और अन्य उच्चतर विद्यालयों तथा शौचालय और अन्य अवसंरचना के निर्माण, संवर्धन और प्रचालन, छात्रों को स्काथलरशिप के भुगतान, यूनिफार्म की आपूर्ति, छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक आदि की आपूर्ति, बैंचों तथा डेस्क, ब्लेक बोर्ड, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री की खरीद, लैपटाप की आपूर्ति, स्मार्ट क्लास चलाने, सर्व शिक्षा अभियान में संवर्धन, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **स्वास्थ्य:** इसमें राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, परिपक्व माता नियोजित बाल योजना, सुकन्या सत्कार योजना, मातृ समृद्धि योजना, बेटी बचाओ योजना जैसी विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों, लोक स्वास्थ्य केन्द्रों, सीएचसी, डिस्पेंसरियों के निर्माण और संवर्धन तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेक्टर के लिए रिहायशी भवनों तथा इनके संचालन और अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें चिकित्सा उपकरणों आदि की खरीद के लिए भी प्रावधान शामिल है।

3.09. **खेलकूद:** इसमें सायली खेल परिसर के निर्माण, आवधिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने, खेल परिषद को सहायता तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **पर्यटन:** इसमें सिलवासा में पर्यटन के संवर्धन, पर्यटकों को परिवहन सेवा प्रदान करने इस भू-भाग में पर्यटक केन्द्रों और आवास के रखरखाव, अंडरग्राउंड पार्किंग और आडिटोरियम के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **शहरी विकास:** इसमें विभिन्न गैर-आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव तथा मरम्मत और फर्निशिंग के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **विधवा/निराश्रित महिला कल्याण:** इसमें विधवाओं और निस्सहाय महिलाओं के कल्याण का प्रावधान शामिल है।

3.13. **ग्रामीण एवं लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए प्रावधान, औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, उद्योग के लिए सञ्चिडी, जैसे कि ब्याज में सञ्चिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **सड़क और पुल:** मौजूदा सड़कों और पुलों के रखरखाव और मरम्मत तथा नए पुलों और सड़कों और रिंग रोड के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **दिव्यांग और वृद्धजन:** इसमें दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों और अन्यथा योग्य व्यक्तियों के कल्याण तथा रेड क्रॉस सोसायटी की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

4.01. **जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को अनुदान:** इसमें विद्यालयों, सड़कों, पुलों, जल संसाधन, विद्युत के विकास के लिए जिला पंचायत को अनुदान, इस संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

4.02. **सिलवासा नगरपालिका परिषद को अनुदान:** इसमें सिलवासा नगरपालिका परिषद को नगरपालिका क्षेत्र में विद्यालयों, सड़कों, पुलों, जल संसाधन, विद्युत आदि के विकास के लिए सिलवासा नगरपालिका परिषद को अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

4.03. **अन्य स्वायत्तशासी एवं अनुदानग्राही निकायों को अनुदान:** इसमें डीएनएच ई-गवर्नेंस सोसायटी, डीएनएच एसटीएससी कॉरपोरेशन, रोगी कल्याण समिति, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कालेज, डीएनएच कालेज आफ इंजीनियरिंग जैसे स्वायत्त निकायों को अनुदान, डीएनएच पीडीसीएल को अनुदान, एसपीओटीएसी को अनुदान, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टैक्नोलोजी, दादरा एवं नगर हवेली योजना एवं विकास प्राधिकरण को अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय:** इसमें खाद्यान्न के प्रापण और आपूर्ति, नागर विमानन, कमान क्षेत्र के विकास, दमण गंगा जलाशय के लिए गुजरात सरकार को शेर्य पूंजी के भुगतान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नई एवं नवीकरणीय उर्जा आदि के लिए प्रावधान शामिल है।